Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3– कु0 निर्मला तिवारी सदस्य न्यायिक

परिवाद संख्या–251 / 2025

श्री मनोज कुमार
ग्राम– कौसानी ,
जिला– बागेश्वर।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
जिला–बागेश्वर,

प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या बीजीके 00020704 के सापेक्ष दिनांक 02.07.2025 को 2.30 पीएम0 पर सिर्फ दो फेस आने की वजह से उनका फ्लोर मिल बंद हो गया था जिसकी शिकायत उन्होने विभाग में 03.07.2025 में कर दी थी। उस समय लाईन मैन ने बताया था कि विभाग की सप्लाई ठीक है और वह अपनी मोटर चेक कराएं जो कि मैकेनिक द्वारा ठीक बतायी गयी। विभाग के पुनः कहने पर उन्होने 05.07.2025 में मोटर को दुबारा चेक कराया परंतु कोई फाल्ट नहीं मिला बार बार कहने के बाद अंत में लाईन मैन ने पोल में चढकर सप्लाई ठीक की। उनका कहना है कि विभागीय लाईनमैन के गुमराह करने के कारण उन्हें मोटर ठीक कराने में वित्तीय परेशानी हुयी। उन्होने प्रकरण की जांच, वित्तीय हानि के लिए मुआवजा तथा डिमांड चार्जेज को हटाने के लिए अनुरोध किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 938 दिनांक 09.07.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, बागेश्वर को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 27.07.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से भी कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही कोई आख्या प्राप्त हुयी। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह प्रकरण में विस्तृत आख्या मंच की अगली सुनवायी तिथि 11.08.2025 से पहले प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

3 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 11.08.2025 में वादी एंव प्रतिवादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही विभाग से कोई आख्या प्राप्त हुयी। विभाग को कहा गया था कि वह विस्तृत आख्या के साथ मंच के उपभोक्ता शिविर दिनांक 12.08.2025 लौबांज कौसानी में सुनवायी के लिए उपस्थित हो।

3 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 12.08.2025 में मंच द्वारा आयोजित उपभोक्ता शिविर कौसानी में की गयी। वादी की तरफ से श्री मनोज कुमार तथा विभाग की तरफ से श्री मुकेश भाकुनी अवर अभियंता कौसानी उपस्थित हुए। अधिशासी अभियंता बागेश्वर ने अपने पंत्राक 1946 दिनांक 08.08.2025 के द्वारा सुचित किया था कि वादी की शिकायत दिनांक 05.07.2025 को 12.04 पीएम0 पर प्राप्त हुयी थी । इसके बाद संबंधित लाईनमैन को मौके पर भेजा गया जिसमें मीटर के 03 फेसों में वोल्टेज ठीक पायी गयी। उन्होंने बताया कि जिस परिर्वतक से उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति की जा रही थी उसी परिवर्तक से क्षेत्र के अन्य उपभोक्ताओं के द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई और विद्युत लाईन को चैक कराने पर कोई फॉल्ट नहीं मिला। उन्होंने यह भी बताया कि मोटर में संभावित फॉल्ट के कारण वादी के यहॉ विद्युत समस्या थी जिसको वादी द्वारा ठीक करा लिया गया था। अवर अभियन्ता ने बताया कि बारिश के मौसम में पेडों के टहनियॉ आदि टकराने के कारण ट्रॉजिऐट फॉल्ट आते रहते हैं। वादी ने बताया कि दिनांक– 02.07.2025 को 2:30 पीएम0 उनके पलोर मिल मोटर में दो फेस सप्लाई हो रहे थे जिसकी जानकारी उन्होंने अवर अभियन्ता श्री भाकुनी और लाईनमैन को दिनांक– 03.07.2025 को दे दी थी। लाईनमैन ने दिनांक– 03.07.02025 को उन्हें बताया कि मोटर में तीनों फेस सप्लाई हो रहे हैं। और उनकी मोटर में कोई फॉल्ट हो सकता है उन्होंने मोटर मैकेनिक के द्वारा चैक कराने पर पाया कि मोटर तथा आन्तरिक वायर ठीक थी और एक फेस मिसिंग था। लाईनमैन द्वारा बताया गया था कि मोटर को किसी थ्री फेस इलैक्ट्रिशियन के द्वारा चैक करा लें जिसको दिनांक– 05.07.2025 में गरूण के पास कुलेगी में चैक कराने ले गया जिसमें कोई फॉल्ट नहीं पाया गया। उन्होंने जेई को दिनांक– 06. 07.2025 को बताया जिस पर जेई ने बताया कि फॉल्ट उनकी वायरिंग में होगा। उन्होने यह भी बताया कि पास के होटल उत्तराखण्ड और होटल सागर में दो ही फेस आ रहे थे। उन्होने बताया कि लाईनमैन के पोल पर चढ़ने के बाद पाया गया कि पोल पर कनेक्टर जला हुआ था जिसको ठीक करने पर सप्लाई नॉर्मल हो गयी। उन्होने इसकी विभागीय जांच करने और विभाग की लापरवाही के लिए क्षतिपूर्ति करने और फिक्स डिंमाड चार्ज व ठीक करने के लिए निवेदन किया है। वादी एंव प्रतिवादी द्वारा प्रेक्षित दस्तावेजों तथा सुनवायी में बताए गए तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि वादी की सप्लाई दिनांक 02.07.2025 को बाधित हुयी थी जिसको वादी ने मौखिक रूप से जेई एंव लाईनमैन को बता दिया था लेकिन अधिशासी अभियंता के मुताबिक वादी की शिकायत दिनांक 05.07.2025 को 12.40 पीएम0 पर दर्ज हुयी। विभाग के अनुसार फाल्ट का कारण ट्रांजिएट बताया गया जबकि वादी द्वारा फाल्ट का कारण बिजली के पोल पर कनैक्टर जला बताया गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वादी की विद्युत आपूर्ति बाधित हुयी थी और वादी को उसकी मोटर में फाल्ट होने का हवाला देते हुए गुमराह किया गया था विभाग को कहा गया था कि सिलसिलेवार वादी की शिकायत प्राप्त होने से लेकर विद्युत आपूर्ति सामान्य होने तक तथा विद्युत आपूर्ति बाधित के कारणों सहित विस्तृत आख्या मंच की अगली सुनवायी तिथि 28.08.2025 से पहले भेजना सुनिश्चित करें। वादी को कहा गयाा था कि उपरोक्त पर साक्ष्यों सहित अपनी आख्या 10 दिन के अंदर मंच के समक्ष प्रस्तुत करें । अगली सुनवायी तिथि 18.09. 2025 नियत की जाती है।

4 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 18.09.2025 में वादी एंव प्रतिवादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अधिशासी अभियंता वि0 वि0 खं0 बागेश्वर को मंच के कार्यालय पंत्राक 974 दिनांक 01.09.2025 के द्वारा कहा गया था कि प्रकरण में आख्या 10 दिन के अंदर प्रेषित करना सुनिश्चित करें जो कि प्राप्त नहीं हुयी। विभाग को पुनः कहा गया था कि वह 10 दिन के अंदर उपरोक्त प्रकरण में अपनी आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अगली सुनवायी तिथि 06.10.2025 नियत की गयी थी।

15/01/26

15/1/2026

5 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 06.08.2025 तथा 24.10.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपखंड अधिकरी श्री आनंद खोलिया ने दूरभाष पर 15 दिन का समय मांगा था। अगली सुनवायी तिथि 11.11.2025 नियत की गयी थी।

6 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 11.11.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से श्री आनंद खोलिया मय् श्री मुकेश भाकुनी अवर अभियंता उपस्थित हुए। यह प्रकरण वादी के थ्री फेस मोटर के एक फेस मीसिंग के संबंध में है। वादी का कहना था कि विभाग से दो फेस आ रहे थे और विभाग के कर्मचारियों ने उन्हें गलत सूचना दी कि उनकी मोटर खराब है। जिसके लिए अनावश्यक रूप से उन्होने इसकी रिपेयरिंग में पैसा खर्च किया है। विभाग ने अपने पत्र संख्या 3089 दिनांक 10.11.2025 के द्वारा बताया कि विभाग की विद्युत लाईन ठीक थी जबकि फॉल्ट वादी के मोटर में था जिसे वादी ने ठीक करा लिया था। प्रकरण में और अधिक स्पष्टता के लिए विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह दिनांक 01.07.2025 से दिनांक 15.07.2025 तक वादी के मीटर की एमआरआई0 रिपोर्ट के साथ विस्तृत आख्या मंच की अगली सुनवायी तिथि 26.11.2025 से पहले प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

7.मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 26.11.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से श्री मुकेश भाकुनी अवर अभियंता उपस्थित हुए।उन्होने बताया कि वादी के मीटर की एमआरआई0 की जा रही है और एमआरआई0 रिपोर्ट 15 दिन के अंदर प्रस्तुत कर दी जाएगी। विभाग को अंतिम अवसर देते हुए निर्देशित किया गया था कि वह दिनांक 01.07.2025 से दिनांक 15.07.2025 तक फेसवाईज मीटर की एमआरआई0 कराकर अपनी रिपोर्ट के साथ विस्तृत आख्या 15 दिन के अंदर भेजना सुनिश्चित करें। अगली सुनवायी तिथि 17.12.2025 नियत की गया थी।

7.मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 17.12.2025 में वाद की सुनवायी में अधिशासी अभियंता बागेश्वर द्वारा 1:30 पीएम. पर सूचित किया गया है कि वह डीएम की मीटिंग की वजह से उपस्थित नहीं हो पा रहे है जबकि सुनवायी की तिथि के लिए उन्हीं के द्वारा अनुरोध किया गया था। यह बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि मंच की सुनवायी को अधिशासी अभियंता द्वारा हल्के में लिया जा रहा है। अधिशासी अभियंता को व्हसएप द्वारा तथा एतत् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि वह 15 दिन के अंदर मंच की सुनवायी दिनांक 26.11.2025 में दिये अनुपालन के क्रम में अपनी आख्या प्रस्तुत करें तथा मंच की अगली सुनवायी तिथि 15.01.2026 में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो। वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

8.मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 15.01.2026 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से श्री आनंद खोलिया एसडीओ0 एमआर आई0 रिपोर्ट के साथ उपस्थित हुएं जो कि अपूर्ण है। विभाग ने बताया कि वादी के परिसर के पास सुनीता होटल के नाम से थ्री फेस संयोजन हैं जहां से फैस मिसिंग की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुयी है और ना ही अन्य उपभोक्ताओं से इस बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुयी ।इन परिस्थितियों में विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह विभागीय एसओपी के अनुसार, उपभोक्ता के सूचित करने के आधार पर नियमानुसार विद्युत व्यवधान क्षतिपूर्ति मुआवजा वादी को प्रदान करें।

आदेश

विभाग द्वारा बताया गया है कि वादी की शिकायत दिनांक 05.07.2025 कोदोपहर बाद 12.40 पर दर्ज हुयी थी जबकि वादी का कहना है कि उन्होने 03.07.2025 को मौखिक रूप से अवर अभियंता तथा लाईनमैन को फेस मिसिंग की सूचना दे दी थी जिसका वादी कोई साक्ष्य नहीं दे पाये। विभाग ने बताया है कि वादी के परिसर के आस पास के उपभोक्ताओं से उस दिन कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुयी थी।

15/1/26

15/1/2026

इन परिस्थितियों में विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह विभागीय एसओपी के अनुसार, उपभोक्ता के सूचित करने के आधार पर, नियमानुसार 15 दिन के अंदर विद्युत व्यवधान क्षतिपूर्ति मुआवजा वादी को प्रदान करें तथा वादी को नियमानुसार फिक्स डिमांड चार्जेज में छूट प्रदान करें। विभाग को यह भी कहा जाता है कि एक उचित समिति के द्वारा पूरे प्रकरण की जांच कर, दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध, यदि कोई हो, आवश्ययक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 15.01.2026

बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

कु0 निर्मला तिवारी
न्यायिक सदस्य

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक

परिवाद संख्या–254 / 2025

श्री बिपिन चंद्र तिवारी ,
इंडस टॉवर लि0, बागेश्वर,
जिला– बागेश्वर।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
बागेश्वर।

प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनके संयोजन एकाउंट संख्या 42100509762, 10 किलोवाट विद्युत भार के सापेक्ष, जून 2025 में 46777 यूनिट का रू0 338460 का बिल प्राप्त हुआ है जो कि 10 किलोवाट विद्युत भार के लिए संभव नहीं है। उन्होने उपरोक्त बिल को ठीक कराने के लिए निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 972 दिनांक 01.09.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, बागेश्वर को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 18.09.2025 में वादी की तरफ से श्री विपिन चंद्र तिवारी उपस्थित हुए। विभाग की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। वादी का कहना था कि उनके जून 2025 के बिल में 46777 गलत यूनिट दिखाते हुए रू0 338460का बिल दिया गया था जो कि 10 किलोवाट भार के लिए तीन महिने की अवधि का उचित नहीं है। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह मीटर की एम0आर0आई0 कराकर तथा बिल का पुनः निरीक्षण कर अपनी आख्या 15 दिन के अंदर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अगली सुनवायी तिथि 06.10.2025 नियत की गयी थी।

3 .मंच की सुनवाई दिनांक 06.10.2025, 24.10.2025 तथा 11.11.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से श्री आनंद खोलिया एस.डी.ओ उपस्थित हुए। विभाग ने एक एम.आर. आई रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें दिनांक 01.03.2025 को रीडिंग 163351.2320 यूनिट दिखायी गयी है। जबकि बिलिंग डेटा में यह रीडिंग 130125 यूनिट दिखायी गयी है। एम0आर0आई0 रिपोर्ट के अनुसार वादी का विद्युत उपभोग दिनांक 01.10.2024 से 01.09.2025 तक लगभग 4000–5000 के आसपास रहा है जबकि जून 2025 में विद्युत उपभोग 46777 यूनिट दिखाया गया है जिसके सापेक्ष रू0 338420 का बिल निर्गत किया गया था

जिस पर वादी ने आपत्ति की है। यह प्रकरण डंप रीडिंग अथवा जंप रीडिंग से संबंधित प्रतीत होने के कारण विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह दिनांक 01.01.2025 से दिनांक 01.09.2025 तक बिलिंग हिस्री में अंकित तथा एम0आर0आई0 रिपोटं में रिकार्ड की गयी यूनिटस की तुलना कर अपनी आख्या मंच की अगली सुनवायी तिथि 26.11.2025 से पहले भेजना सुनिश्चित करें।

4 .मंच की सुनवाई दिनांक 26.11.2025 तथा 17.12.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से अधिशासी अभियंता वि0वि0 खंड बागेश्वर ने फोन के माध्यम से अगली सुनवायी के लिए निवेदन किया था। विभाग को पुनः निर्देशित किया गया था कि वह मंच की सुनवायी तिथि 11.11.2025 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अपनी आख्या 15 दिन के अंदर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अगली सुनवायी तिथि 15.01.2026 नियत की गयी थी।

5 .मंच की सुनवाई दिनांक 15.01.2026 में वादी तथा प्रतिवादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। और ना ही विभाग की तरफ से कोई आख्या प्राप्त हुयी।

मंच की सुनवायी तिथि 09.02.2026 में वादी की तरफ से श्री बिपिन चंद्र तिवारी उपस्थित हुए। विभाग की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग से पंत्राक 129 दिनांक 15.01.2026 के माध्यम से आख्या प्राप्त हुयी है जिसमें बिलिंग हिस्ट्री तथा एम0आर0आई0 रिपोर्ट का तुलनात्मक विवरण है। वादी ने बताया कि जून 2025 के बिल में 46777 यूनिट का बिल रू0 338460 का प्राप्त हुआ है जबकि उनका प्रतिमाह बिल रू0 4000 के आसपास रहता है। एम0आर0आई0 रिपोट्र के अनुसार अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक वादी का औसत उपभोग 3950 यूनिट रहा है। अतः 01 महिने का बिल 46777 यूनिट का आना संभव नहीं है और यह प्रकरण डंप रीडिंग से संबंधित है जिसके लिए वादी ने बताया कि पिछले लगभग 02 साल से कोई भी व्यक्ति मीटर रीडिंग लेते हुए नहीं देखा गया। इन परिस्थितियों में विभाग को निर्देशित किया जाता है कि डंप रीडिंग को पिछले 02 साल में वितरित कर तथा तत्कालीन टैरिफ का लाभ देते हुए बिना एल.पी.एस.सी के 15 दिनों के अंदर वादी को संशोधित बिल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तत्पश्चात 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करें।

आदेश

इस प्रकरण में वादी का कहना है कि उनके जून 2025 के बिल में 46777 गलत यूनिट दिखाते हुए रू0 338460 का बिल निर्गत किया गया है जो कि 10 किलोवाट विद्युत भार के लिए तीन महिने की अवधि का संभव नहीं है। विभाग द्वारा प्रेषित एम0आर0आई0 रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक वादी का औसत उपभोग 3950 यूनिट रहा है। अतः 01 महिने का बिल 46777 यूनिट का आना संभव नहीं है और यह प्रकरण डंप रीडिंग से संबंधित है।

इन परिस्थितियों में विभाग को निर्देशित किया जाता है कि डंप रीडिंग को पिछले 02 साल में वितरित कर तथा तत्कालीन टैरिफ का लाभ देते हुए, बिना एल.पी.एस.सी के 15 दिनों के अंदर, संशोधित बिल वादी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तत्पश्चात 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करें।
उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 09.02.2026

बी0 एस0 बिष्ट उपभोक्ता सदस्य	ओ0पी0 दीक्षित तकनीकी सदस्य	कु0 निर्मला तिवारी न्यायिक सदस्य

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक

परिवाद संख्या–257 / 2025

श्री बिपिन चंद्र तिवारी ,
इंडस टॉवर लि0, भिक्यिासैंण,
जिला– अल्मोड़ा।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
भिक्यिासैंण, जिला–अल्मोड़ा।

प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन एकाउंट संख्या 40116950865 के सापेक्ष, 31.10.2024 से 30.11.2024 तक 30980 यूनिट का बिल 18 किलोवाट संयोजन के लिए एकदम गलत है इसी तरह 30.11.2024से 31.11.2024 तक 24726 यूनिट का निर्गत बिल भी गलत है। उन्होने बताया कि विगत में लगातार 03 महीने के औसत के आधार पर प्रतिमाह विद्युत उपभोग 8510 यूनिट रहा है। उन्होने उपरोक्त बिल को ठीक कराने के लिए निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 987 दिनांक 22.09.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, भिक्यिासैंण को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 18.09.2025 में वादी की तरफ से श्री बिपिन चंद्र तिवारी उपस्थित हुए। विभाग की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। वादी का कहना है कि उनके संयोजन के सापेक्ष नवबंर में 30980 यूनिट का रू0 231130 का बिल प्राप्त हुआ है जो कि 18 किलोवाट भार के लिए 01 महीने का संभव नहीं है। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह मीटर की एमआरआई0 कराकर तथा बिल का पुनः निरीक्षण कर अपनी आख्या 15 दिन के अंदर मंच के समक्ष प्रेक्षित करना सुनिश्चित करें। मंच की अगली सुनवायी तिथि 06.10.2025 नियत की गयी थी।

a/10/25

3 .मंच की सुनवाई दिनांक 06.10.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से अधिशासी अभियंता भिक्यिासैंण ने फोन पर आख्या प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन के समय की मांग की थी। अगली सुनवायी तिथि 24.10.2025 नियत की गयी थी।

4 .मंच की सुनवाई दिनांक 24.10.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री गौतम कुमार ए.ई.आर ने बताया कि मीटर की रीडिंग की सत्यता की जांच के लिए मीटर की एम.आर.आई की जा रही है जिसकी विस्तृत आख्या 15 दिन के अंदर मंच के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी। अगली सुनवायी तिथि 11.11.2025 नियत की गयी थी।

5 .मंच की सुनवाई दिनांक 11.11.2025 तथा 26.11.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से श्री गौतम कुमार ए.ईआर. उपस्थित हुए। उन्होने बताया कि नवबंर / दिसबंर में मीटर रीडर द्वारा ली गयी रीडिंगस 30980 तथा 24726 गलत अंकित की गयी थी। इन रीडिंगस को विभाग द्वारा अनदेखा करके ऐवरेज के आधार पर पिछले एक साल का बिल संशोधन किया गया है। संशोधित बिल में रू0 45439.15 का क्रेडिट देते हुए नेट बिल की गणना की जा रही है, और संशोधित बिल 15 दिन के अंदर मंच के समक्ष प्रस्तुत कर कर दिया जाएगा। वादी का पक्ष जानने के लिए अगली सुनवायी तिथि 17.12.2025 नियत की गयी थी।

6.मंच की सुनवाई दिनांक 17.12.2025 में में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से श्री संजय भाकुनी कार्यालय सहायक द्वितीय उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि वादी के बिल में रू0 45439. 15 का क्रेडिट देते हुए नेट बिल रू0 682396 का बना है। जब विभाग से बिल की गणना मांगी गयी तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। वादी से उनके द्वारा दिये गये फोन नं0 9001797907 पर सुनवायी की गयी। वादी ने बताया कि दिनांक 01.11.2024 से दिनांक 31.11.2024 तक 01 महीने का बिल 24726 यूनिट का रू0 168559 का निर्गत हुआ था जो कि संभव नहीं है और गलत है। वादी ने बताया कि दूसरे बिल में दिनांक 01. 10.2024 से दिनांक 30.11.2024 तक 30980 यूनिट का बिल रू0 231130 निर्गत हुआ था यह भी संभव नहीं है। उन्होने दोनो बिलो को ठीक कराने के लिए निवेदन किया था। विभाग ने बार–बार सुनवायी के लिए समय लिया लेकिन वादी की समस्या के निराकरण हेतु कोई आख्या अभी तक प्रस्तुत नहीं की गयी जो कि एक गंभीर विषय है। अधिशासी अभियंता वि0वि0 खंड भिक्यिासैंण को निर्देशित किया गया था कि वह दोनों बिलों में क्रेडिट / डेबिट की गणना के साथ नेट भुगतान करने योग्य बिल के साथ अपनी आख्या प्रस्तुत कर मंच की अगली सुनवायी तिथि 15.01.2026 में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर बिलों के बारे में स्पष्ट करें।

7.मंच की सुनवाई दिनांक 15.01.2026 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री गौतम कुमार ए.ई.आर ने बताया कि वादी के बिल में रू0 45439.15 का केडिट देते हुए नेट बिल रू0 773274.18 का बनता है। वादी से उनके द्वारा दिये गये फोन नं0 9001797907 पर बात की गयी। वादी उपरोक्त संशोधन से संतुष्ट नहीं था। उन्होने एमआरआई0 रिपोर्ट तथा संशोधन गणना की कॉपी मांगी थी जिसे वादी के व्हटसएप नं0 पर भेज दिया गया था। श्री गौतम कुमार ए.ई.आर भिक्यिासैंण को निर्देशित किया गया था कि वह मैसर्स इंडस टावर लि0 से संबंधित सभी प्रकरणों में बिंदुवार संशोधन का विवरण 15 दिन के अंदर मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अगली सुनवाई तिथि 09.02.2026 नियत की गयी थी।

8.मंच की अंतिम सुनवाई दिनांक 09.02.2026 में वादी की तरफ से श्री बिपिन चंद्र तिवारी तथा विभाग की तरफ से श्री गौतम कुमार ए.ई.आर उपस्थित हुए। वादी का कहना है कि उनका विद्युत उपभोग नवबंर 2024 में 30980 यूनिट तथा दिसबंर 2024 में 24726 यूनिट, दो महीने में कुल 55706 यूनिट का दर्शाया गया है जबकि विगत में उनका प्रतिमाह विद्युत उपभोग 4000 से 5000 यूनिट के बीच रहा है। उन्होने कहा है कि दो महीने में 55706 यूनिट की डंप रीडिंग कई महीनो की है क्योकि विभागीय मीटर रीडर घर बैठे मीटर रीडिंग अंकित कर देते है। उन्होने कहा है कि यह डंप रीडिंग 16 से 20 महीनों के बीच की हो सकती है। मीटर की एमआरआई0 में दिनांक 01.01.2025 को रीडिंग 81991.18 यूनिट अंकित है। इन परिस्थितयों में विभाग को निर्देशित किया जाता है कि 01.01.2025 से पहले, एमआरआई0 के अनुसार, 18 महीनों में अंकित रीडिंग के आधार पर, औसत लेते हुए तथा तत्कालीन टैरिफ का लाभ देते हुए, वादी का बिल बिना एल.पी.एस.सी. के 15 दिनों में संशोधित कर, पत्र के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें तद्पश्चात् 10 दिन के अंदर मंच के समक्ष अनुपालन आख्या प्रस्तुत करें।

04/12/26

परिवाद संख्या–257 / 2025

आदेश

वादी के अनुसार उनका विद्युत उपभोग नवबंर 2024 में 30980 यूनिट तथा दिसबंर 2024 में 24726 यूनिट, दो महीने में कुल 55706 यूनिट का दर्शाया गया है जबकि विगत में उनका प्रतिमाह विद्युत उपभोग 4000 से 5000 यूनिट के बीच रहा है। उन्होने कहा है कि दो महीने में 55706 यूनिट की डंप रीडिंग कई महीनो की है क्योकि विभागीय मीटर रीडर घर बैठे मीटर रीडिंग अंकित कर देते है। उन्होने कहा है कि यह डंप रीडिंग 16 से 20 महीनों के बीच की हो सकती है। मीटर की एमआरआई0 में दिनांक 01.01.2025 को रीडिंग 81991.18 यूनिट अंकित है।

इन परिस्थितयों में विभाग को निर्देशित किया जाता है कि 01.01.2025 से पहले, एमआरआई0 के अनुसार, 18 महीनों में अंकित रीडिंग के आधार पर, औसत लेते हुए तथा तत्कालीन टैरिफ का लाभ देते हुए, वादी का बिल बिना एल.पी.एस.सी. के 15 दिनों में संशोधित कर, पत्र के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें, तदपश्चात् 10 दिन के अंदर मंच के समक्ष उपरोक्त पर अनुपालन आख्या प्रस्तुत करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन / अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 09.02.2026

बी0 एस0 बिष्ट उपभोक्ता सदस्य	ओ0पी0 दीक्षित तकनीकी सदस्य	कु0 निर्मला तिवारी न्यायिक सदस्य

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Sya...nar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक

परिवाद संख्या–259 / 2025

श्री बिपिन चंद्र तिवारी ,
इंडस टॉवर लि0, भिक्यासैंण,
जिला– अल्मोड़ा। वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
भिक्यासैंण, जिला–अल्मोड़ा। प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन एकाउंट संख्या 40116951829 के सापेक्ष, 20 किलोवाट विद्युत भार के लिए अप्रैल 2025 में 22212 यूनिट का बिल रू0 183467 प्राप्त हुआ है जो कि 20 किलोवट विद्युत भार के लिए 01 महीने में आना असंभव है। उन्होने उपरोक्त बिल को ठीक कराने के लिए निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 971 दिनांक 01.09.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, भिक्यासैंण को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 18.09.2025 में वादी की तरफ से श्री बिपिन चंद्र तिवारी उपस्थित हुए। विभाग की तरफ से श्री राजेश मौर्य अधिशासी अभियंता भिक्यासैंण से फोन पर बात की गयी और प्रकरण में अपनी आख्या 15 दिन के अंदर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। वादी का कहना है कि अप्रैल 2025 के बिल में 22212 यूनिट का बिल रू0 183467 का प्राप्त हुआ है जो कि 20 किलोवाट भार के लिए 01 महिने का संभव नहीं है। उन्होने बिल को ठीक कराने का अनुरोध किया है। इस संदर्भ में अधिशासी अभियंता भिक्यासैंण का पंत्राक 1540 दिनांक 18.09.2025 प्राप्त हुआ है। जिसमें उन्होने आख्या प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का समय मांगा था। विभाग को कहा गया था कि वह 15 दिन के अंदर मीटर की एम.आर.आई कर आवश्यक बिल संशोधन के साथ अपनी आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अगली सुनवायी तिथि 06.10.2025 नियत की गयी थी।

18/01/26 15.1.26

3 .मंच की सुनवाई दिनांक 06.10.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग ने फोन द्वारा आख्या प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन के समय की मांग की थी। अगली सुनवायी तिथि 24.10. 2025 नियत की गयी थी।

4 .मंच की सुनवाई दिनांक 24.10.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री गौतम कुमार ए.ई.आर ने बताया कि मीटर की रीडिंग की सत्यता की जांच के लिए मीटर की एम.आर.आई की जा रही है जिसकी विस्तृत आख्या 15 दिन के अंदर मंच के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी। अगली सुनवायी तिथि 11.11.2025 नियत की गयी थी।

5 .मंच की सुनवाई दिनांक 11.11.2025 तथा 26.11.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से श्री गौतम कुमार ए.ईआर. उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि विगत महीनों में त्रुटिवश गलत रीडिंग अंकित की गयी थी जिसको पिछले एक साल में औसत के आधार पर संशोधित करते हुए वादी के बिल में रू0 18618 का क्रेडिट दिया गया है। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह अद्यतन् नेट बिल के साथ विस्तृत आख्या मंच की अगली सुनवायी तिथि 17.12.2025 नियत की गयी थी।

6.मंच की सुनवाई दिनांक 17.12.2025 में वादी से उनके द्वारा दिये गये फोन नं0 9001797907 पर सुनवायी की गयी। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री संजय भाकुनी कार्यालय सहायक द्वितीय ने बताया कि वादी के बिल में रू0 18618 का क्रेडिट देते हुए नेट बिल रू0 473739.17 का बनता है। वादी द्वारा इस पर संतुष्टि व्यक्त नहीं की गयी। उन्होने उपरोक्त औसत के आधार की गणना के विवरण के लिए अनुरोध किया था। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह स्टेटमेंट ऑफ अकांउट तथा औसत की गणना का विवरण देते हुए विस्तृत आख्या के साथ, सहायक अभियंता के स्तर के अधिकारी द्वारा मंच की अगली तिथि 15.01.2026 में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

7.मंच की अंतिम सुनवाई दिनांक 15.01.2026 में वादी की तरफ से श्री बिपिन चंद्र तिवारी तथा विभाग की तरफ से श्री गौतम कुमार ए.ईआर. उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि वादी के बिल में रू0 18618 का क्रेडिट देते हुए नेट बिल रू0 473739.17 का बनता है। जो सही है और देय है और जिस पर वादी ने अपनी संतुष्टि व्यक्त की है।

आदेश

विभाग ने बताया कि विगत महीनों में त्रुटिवश गलत रीडिंग अंकित की गयी थी जिसको पिछले एक साल में औसत के आधार पर संशोधित करते हुए वादी के बिल में रू0 18618 का क्रेडिट दिया गया है। जो सही है और देय है और जिस पर वादी ने अपनी संतुष्टि व्यक्त की है।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 15.01.2026

15/1/26
बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

15.1.2026
ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

15/1/2026
कु0 निर्मला तिवारी
न्यायिक सदस्य

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक

परिवाद संख्या–260 / 2025

श्री बिपिन चंद्र तिवारी ,
इंडस टॉवर लि0, भिक्यिासैंण,
जिला– अल्मोड़ा।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
भिक्यिासैंण, जिला–अल्मोड़ा।

प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन एकाउंट संख्या 40220040196 के सापेक्ष, 16 किलोवाट विद्युत भार के लिए, जुलाई 2025 में 65753 यूनिट का बिल, रू0 467835 प्राप्त हुआ है जो कि 16 किलोवट विद्युत भार के लिए 01 महीने में आना असंभव है। उन्होने उपरोक्त बिल को ठीक कराने के लिए निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 984 दिनांक 22.09.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, भिक्यिासैंण को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 18.09.2025 में वादी की तरफ से श्री विपिन चंद्र तिवारी एंव विभाग की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। वादी ने बताया था कि उन्हें जुलाई 2025 में ,65753 यूनिट का बिल, रू0 467835 प्राप्त हुआ था जो कि 16 किलोवाट विद्युत भार के लिए 01 महीने में आना असंभव है। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह मीटर की एम.आर.आई कर तथा बिल का पुनः निरीक्षण कर अपनी आख्या 15 दिन के अंदर मंच के समक्ष प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अगली सुनवायी तिथि 06.10.2025 नियत की गयी थी।

3 .मंच की सुनवाई दिनांक 06.10.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से अधिशासी अभियंता भिक्यिासैण ने आख्या प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन के समय की मांग की थी। अगली सुनवायी तिथि 24.10.2025 नियत की गयी थी।

15.10.2025

4 .मंच की सुनवाई दिनांक 24.10.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री गौतम कुमार ए.ई.आर ने बताया कि मीटर की रीडिंग की सत्यता की जांच के लिए मीटर की एम.आर.आई की जा रही है जिसकी विस्तृत आख्या 15 दिन के अंदर मंच के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी। अगली सुनवायी तिथि 11.11.2025 नियत की गयी थी।

5 .मंच की सुनवाई दिनांक 11.11.2025 तथा 26.11.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से श्री गौतम कुमार ए.ईआर. उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि जुलाई 2025 में वादी का विद्युत उपभोग, त्रुटिवश 65753 यूनिट का गलत अंकित हुआ था जिसके संशोधन के पश्चात् रू0 102612.82 का क्रेडिट बनता है। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह संशोधित नेट बिल की गणना के साथ संपूर्ण विवरण, मंच की अगली सुनवायी तिथि 17.12.2025 से पहले प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

6.मंच की सुनवाई दिनांक 17.12.2025 में वादी की तरफ से उनके द्वारा दिये गये फोन नं0 9001797907 पर सुनवायी की गयी। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री संजय भाकुनी कार्यालय सहायक द्वितीय ने बताया कि वादी के बिल में रू0 102612.82 का क्रेडिट देते हुए नेट बिल रू0 491457.49 का बनता है। वादी ने इसके लिए गणना का विवरण मांगा था। विभाग को निर्देशित किया गयाा था कि वह गणना का विवरण वादी का उपलब्ध कराएं तथा न्यूनतम सहायक अभियंता के स्तर का अधिकारी, मंच की अगली सुनवायी तिथि 15.01.2026 में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर उपरोक्त गणना स्पष्ट करें।

7.मंच की अंतिम सुनवाई दिनांक 15.01.2026 में वादी की तरफ से श्री बिपिन चंद्र तिवारी तथा विभाग की तरफ से श्री गौतम कुमार ए.ईआर. उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि वादी के बिल में रीडिंग संशोधन कर तथा रू0 102612.82 का क्रेडिट देते हुए संशोधित बिल रू0 491457.49 का बनता है जिस पर वादी ने अपनी संतुष्टि व्यक्त की है।

आदेश

विभाग द्वारा बताया गया है कि जुलाई 2025 में वादी का विद्युत उपभोग, त्रुटिवश 65753 यूनिट का गलत अंकित हुआ था जिसके संशोधन के पश्चात्, रू0 102612.82 का क्रेडिट देते हुए, नेट बिल रू0 491457.49 का बनता है जो सही है और देय है और जिस पर वादी ने अपनी संतुष्टि व्यक्त की है।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन / अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

<u>दिनांक – 15.01.2026</u>

15.1.26

बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

15.1.2026

ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

कु0 निर्मला तिवारी
न्यायिक सदस्य

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक

परिवाद संख्या–261 / 2025

श्री बिपिन चंद्र तिवारी ,
इंडस टॉवर लि0, भिक्यासैंण,
जिला– अल्मोड़ा। वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
भिक्यासैंण, जिला–अल्मोड़ा। प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन एकाउंट 40116950857, 22 किलोवाट के विद्युत भार के सापेक्ष, जुलाई 2025 के बिल में लो पॉवर फैक्टर के आधार पर रू0 4240.02 का सरचार्ज लगा दिया गया है जबकि उनका पॉवर फैक्टर हमेशा 95 प्रतिशत से ज्यादा रहता है। इन्होने उपरोक्त को ठीक कराने के लिए निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 988 दिनांक 22.09.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, भिक्यासैंण को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 18.09.2025 में वादी की तरफ से श्री विपिन चंद्र तिवारी उपस्थित हुए। विभाग की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। वादी का कहना है कि जुलाई 2025 के बिल में केवीएएच रीडिंग के बावजूद लो पॉवर फैक्टर सरचार्ज 4240 .02 लगाया गया है जबकि उनका पॉवर फैक्टर 0.95 से ज्यादा रहता है। उन्होने बिना एलपीएससी लगाये उपरोक्तके संशोधन के लिए निवेदन किया है। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह बिल का पुनः निरीक्षण कर अपनी आख्या 15 दिन के अंदर मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। अगली सुनवायी तिथि 06.10.2025 नियत की गयी थी।

3 .मंच की सुनवाई दिनांक 06.10.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से अधिशासी अभियंता भिक्यासैण ने अपने पत्र संख्या 1540 दिनांक 18.09.2025 के द्वारा आख्या प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन के समय की मांग की थी। अगली सुनवायी तिथि 24.10.2025 नियत की गयी थी।

4 .मंच की सुनवाई दिनांक 24.10.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री गौतम कुमार ए.ई.आर ने बताया कि मीटर की रीडिंग के समय वादी का पीएफ 0. 81 पाया गया जबकि वादी का कहना था कि पीएफ 0.95 से ऊपर रहता है। पीएफ की सत्यता की जांच के लिए विभाग को निर्देशित किया गया था कि 01.01.2025 से 10.09.2025 तक मीटर की एमआरआई कर विस्तृत आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। अगली सुनवायी तिथि 11.11.2025 नियत की गयी थी।

5 .मंच की सुनवाई दिनांक 11.11.2025 तथा 26.11.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से श्री गौतम कुमार ए.ईआर. उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि मीटर रीडर द्वारा गलत रीडिंग अंकित करने के कारण, जुलाई 2025 के बिल में औसत के आधार पर, लो पॉवर फैक्टर के सापेक्ष लगायी गयी पेनल्टी राशि रू0 4240 को समाप्त कर दिया गया है। मंच की अगली सुनवायी तिथि 17.12.2025 नियत की गयी थी।

6.मंच की सुनवाई दिनांक 17.12.2025 में वादी से उनके द्वारा दिये गये फोन नं0 9001797097 पर सुनवायी की गयी। विभाग ने बताया कि वादी के बिल में लगा हुआ सरचार्ज रू0 4240 हटा दिया गया है जिस पर वादी ने फोन पर संतुष्टि व्यक्त की है। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह 15 दिन के अंदर संशोधित बिल वादी को उपलब्ध कराएं तद्पश्चात् उपरोक्त पर अनुपालन आख्या 10 दिन के अंदर मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

आदेश

विभाग द्वारा बताया गया है कि मीटर रीडर द्वारा गलत रीडिंग अंकित करने के कारण, जुलाई 2025 के बिल में औसत के आधार पर, लो पॉवर फैक्टर के सापेक्ष लगाये गये पेनल्टी राशि रू0 4240 को समाप्त कर दिया गया है जिस पर वादी ने अपनी संतुष्टि व्यक्त की है।

विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह 15 दिन के अंदर संशोधित बिल वादी को उपलब्ध कराएं तद्पश्चात् उपरोक्त पर 10 दिन के अंदर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 17.12.2025

बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

कु0 निर्मला तिवारी
न्यायिक सदस्य

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक

परिवाद संख्या–278 / 2025

श्रीमती मंजू वर्मा,
मुहल्ला– गोपालधारा, धारानौला
जिला– अल्मोड़ा।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
जिला–अल्मोडा।

प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके खाता संख्या 40116417539 के सापेक्ष उनका बिल विगत में प्रतिमाह रू0 1000 आता था लेकिन नया मीटर लगने के पश्चात् उनका बिल रू0 2743 आया है। उन्होने बिल को ठीक करवाने का अनुरोध किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1093 दिनांक 24.12.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, अल्मोडा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 15.01.2026 में वादी की तरफ से श्री आशीष वर्मा पुत्र श्रीमती मंजू वर्मा तथा विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान एईआर उपस्थित हुए। वादी का कहना है कि उनका जनवरी 2026 का बिल 549 यूनिट का आया है जबकि इससे पहले यह लगभग 300 यूनिट का आता था। वादी ने चेक मीटर लगवाने के लिए निवेदन किया है। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह वादी द्वारा चेक मीटर के सापेक्ष निर्धारित धनराशि का भुगतान कराकर 15 दिन के अंदर चेंक मीटर लगाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अगली सुनवायी तिथि 09.02.2026 नियत की गयी थी।

3 .मंच की अंतिम सुनवाई तिथि दिनांक 09.02.2026 में वादी की तरफ से श्रीमती मंजू वर्मा तथा विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान एईआर उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि मंच के निर्देशानुसार वादी के परिसर पर चेक मीटर लगाया गया था जिसकी तुलना करने पर मेन मीटर सही पाया गया। विभाग का कहना है कि वादी ने नवबंर 2025 का 332 यूनिट का, दिसबंर 549 यूनिट का तथा जनवरी 2026 का 473 यूनिट का बिल एकसाथ जमा किया है जिस वजह से वादी को अपना बिल ज्यादा लग रहा है।
विभाग ने बताया कि वादी के बिल रीडिंग आधारित तथा सही निर्गत कियं जा रहेहै।

परिवाद संख्या–278 / 2025

आदेश

विभाग द्वारा बताया गया है कि वादी के परिसर पर चेक मीटर लगाया गया था जिसकी तुलना करने पर मेन मीटर सही पाया गया। विभाग का कहना है कि वादी ने नवबंर 2025 का 332 यूनिट, दिसबंर 549 यूनिट तथा जनवरी 2026 का 473 यूनिट का बिल एकसाथ जमा करवाया है जिस वजह से वादी को अपना बिल ज्यादा लग रहा है। विभाग ने बताया कि वादी के बिल रीडिंग आधारित तथा सही निर्गत किये जा रहे है जिस पर वादी ने अपनी संतुष्टि व्यक्त की है।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन / अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षंरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 09.02.2026

बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

कु0 निर्मला तिवारी
न्यायिक सदस्य

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक

परिवाद संख्या–279 / 2025

श्री चंचल सिंह लोहनी,
मुहल्ला– सरकार की आली
जिला– अल्मोड़ा।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
जिला–अल्मोडा।

प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या एआर1 2511028215 के सापेक्ष रू0 2242 का बिल निर्गत हुआ है जबकि उन्होने सितबंर 2025 में 878 रू0 तथा अक्टूबर 2025 में 895 रू0 का भुगतान किया है। उन्होने बिल को ठीक करवाने का अनुरोध किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1090 दिनांक 24.12.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, अल्मोडा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 15.01.2026 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री तुषार चौहान ए.ई.आर ने बताया कि वादी का बिल जनवरी 2026 में 286 यूनिट का नवबंर 2025 में 430 यूनिट का तथा इससे पहले के बिल 150–200 यूनिट के निर्गत हुए है तथा वादी के बिल रीडिंग आधारित निर्गत किये गये है। उन्होने बताया कि वादी के परिसर में स्मार्ट मीटर स्थापित हो चुका है। अगली सुनवायी तिथि 09.02.2026 को नियत की गयी थी।

3 .मंच की अंतिम सुनवाई तिथि दिनांक 09.02.2026 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान एईआर उपस्थित हुए। विभाग ने पुनः बताया है कि वादी के बिल रीडिंग आधारित तथा सही निर्गत किये जा रहे है और वादी द्वारा बिल जमा भी किये जा रहे हैं।

आदेश

विभाग द्वारा बताया गया है कि वादी के बिल रीडिंग आधारित तथा सही निर्गत किये जा रहे हैं और वादी द्वारा बिल जमा भी किये जा रहे हैं तथा वादी संतुष्ट है।

9/02/26 09/02/26

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन / अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 09.02.2026

09/02/26

बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

कु0 निर्मला तिवारी
न्यायिक सदस्य

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक

परिवाद संख्या–280 / 2025

श्री गोपाल सिंह बोरा,
मुहल्ला– हीरा डुगंरी,एन.टी.डी,
नियर वीरशिवा स्कूल,
जिला– अल्मोड़ा।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
जिला–अल्मोडा।

प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या एआर 273312006970 के संदर्भ में 01 किलोवाट स्वीकृत भार के सापेक्ष स्मार्ट मीटर लगने के पश्चात् उनकी एमडी 04 किलोवाट अंकित करने के कारण, उनका फिक्स चार्जेज 340 रू0 प्रतिमाह दर्शाया गया है। उन्होने स्वीकृत भार 01 किलोवाट करवाने का अनुरोध किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1094 दिनांक 24.12.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, अल्मोडा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 15.01.2026 में वादी की तरफ से श्री गोपाल सिंह बोरा तथा विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान एईआर उपस्थित हुए। वादी ने बताया कि उनके सितबंर 2025 से नवबंर 2025 तक, बिल में 4 किलोवाट एमडी के अनुसार फिक्स चार्जेज लगाये गये है जबकि उनका विद्युत भार 01 किलोवाट स्वीकृत है जिसे दिसबंर 2025 की बिलिंग साईकिल में 02 किलोवाट अंकित किया गया है। विभाग का कहना है कि वादी की एमडी 02 किलोवाट से ऊपर अंकित हो रही है और बिल में दर्शायी गयी 04 किलोवाट की एमडी त्रुटिपूर्ण है जिसे 15 दिन के अंदर ठीक कर दिया जाएगा। अगली सुनवायी तिथि 09.02.2026 नियत की गयी थी।

3 .मंच की अंतिम सुनवाई तिथि दिनांक 09.02.2026 में वादी की तरफ से श्री गोपाल सिंह बोरा तथा विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान एईआर उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि वादी के वादी के बिल में अंकित 04 किलोवाट की एमडी. में त्रुटि थी जिसे संशोधित कर 04 किलोवाट से 02 किलोवाट कर दिया गया है।

9/2/26

9/2/2026

यह संशोधन वादी के अगले बिलिग साईकिल के बिल में दर्शाया जाएगा। विभाग को कहा जाता है कि अतिरिक्त धनराशि जो कि एमडी के लिए ली गयी थी, उसे अगले बिल में समायोजित कर दें।

आदेश

विभाग की तरफ से बताया गया है कि वादी के बिल में अंकित 04 किलोवाट की एमडी. में त्रुटि थी जिसे संशोधित कर वास्तविक एमडी 02 किलोवाट कर दिया गया हैं और यह संशोधन वादी के अगले बिल में दर्शाया जाएगा। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह त्रुटिपूर्ण अंकित एमडी के सापेक्ष ली गयी धनराशि को वादी के अगले बिल में समायोजित करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 09.02.2026

बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

कु0 निर्मला तिवारी
न्यायिक सदस्य

Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक

परिवाद संख्या–281/2026

श्री बिपिन चंद्र तिवारी ,
इंडस टॉवर लि0, जौलकाण्डे,
जिला– बागेश्वर।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
जिला– बागेश्वर।

प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन एकाउंट संख्या 40116955611 के सापेक्ष, 15 किलोवाट विद्युत भार के संयोजन में अक्टूबर 2025 के बिल में लो पॉवर फैक्टर के लिए रू0 2784.47 का अनुचित सरचार्ज लगाया गया है जबकि उनका औसत पॉवर फैक्टर हमेशा 0.95 प्रतिशत से अधिक रहता है। उन्होने उपरोक्त बिल को ठीक कराने के लिए निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1103 दिनांक 07.01.2026 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, बागेश्वर को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 15.01.2026 में वादी तथा विभाग की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही विभाग से वांछित आख्या प्राप्त हुयी। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह 15 दिन के अंदर अपनी आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अगली सुनवायी तिथि 09.02.2025 नियत की गयी थी।

3 .मंच की सुनवाई दिनांक 09.02.2026 में वादी की तरफ से श्री बिपिन चंद्र तिवारी उपस्थित हुए। विभाग की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अधिशासी अभियंता, वि0 वि0 खंड बागेश्वर ने अपने पत्र संख्या 304 दिनांक 29.06.2026 के द्वारा मंच को सूचित किया है कि वादी के अक्टूबर 2025 के बिल में त्रुटिवश लगाया गया लो पॉवर फैक्टर सरचार्ज रू0 27840.47 का समायोजन वादी के बिल में कर दिया गया है। मंच की सुनवायी में उपस्थिति वादी ने उपरोक्त पर संतुष्टि व्यक्त की है।

परिवाद संख्या–281 / 2026

आदेश

विभाग द्वारा बताया गया है कि वादी के माह अक्टूबर 2025 के बिल में त्रुटिवश लगाया गया लो पॉवर फैक्टर सरचार्ज रू0 27840.47 का समायोजन वादी के बिल में कर दिया गया है। मंच की सुनवायी में उपस्थिति वादी ने उपरोक्त पर संतुष्टि व्यक्त की है।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 09.02.2026

बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

कु0 निर्मला तिवारी
न्यायिक सदस्य